न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 88–एक/2006 विरूध्द आदेश दिनांक 29–08–05 पारित अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 150/2000–01 अपील.

रमेश लोधी पुत्र महाराजसिंह
निवासी मनपुरा, मजरा नवलपुरा, तह0 पिछोर,
जिला शिवपुरी, म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

1– सरूआ पुत्र जसुआ लोधी
निवासी मनपुरा, मजरा नवलपुरा, तह0 पिछोर,
जिला शिवपुरी, म0प्र0

2– रजकू पुत्री जसुआ लोधी पत्नी मानसिंह लोधी
निवासी ग्राम सिंधारी, तह0 पिछोर,
जिला शिवपुरी, म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक – आवेदक

आदेश

(आज दिनांक 1-5- 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 150/2000–01 अपील

में पारित आदेश दिनांक 29–08–2005 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि नामान्तरण पंजी क0 06 पर पारित आदेश दिनांक 15–02–1995 के विरूध्द आवेदक रमेश व्दारा दिनांक 25–08–95 को अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब को माफ करने हेतु समयावधि विधान की धारा 5 का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 23–06–99 व्दारा विलम्ब का समुचित आधार नहीं होने से अपील समयावधि बाह्य मानकर खारिज की। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 29–8–05 व्दारा खारिज की। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने आवेदक के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि दरयाव के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित थी। दरयाव व्दारा आवेदक के पक्ष में पंजीयत वसीयतनामा दिनांक 21–1–94 निष्पादित किया गया है। दरयाव के मृत्यु के पश्चात आवेदक व्दारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 05–08–95 के आधार पर आवेदक को नामान्तरण पंजी में पारित आदेश दिनांक 15–2–95 की जानकारी हुई। तब उसने नामान्तरण पंजी की नकल प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो जानकारी के दिनांक से समयावधि में है। उनका यह भी तर्क है कि नामान्तरण के पूर्व विधिवत इश्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया और ना ही मृत दरयाव की

1.5.2014

18

उत्तराधिकारियों को सूचनापत्र जारी किया गया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिये उनके विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक रमेश पुत्र महाराजसिंह व्दारा नामान्तरण पंजी में पारित आदेश दिनांक 15–2–95 के विरूध्द दिनांक 25–8–95 को अपील आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपनी आदेश पत्रिका दिनांक 25–8–95 व्दारा प्रकरण पंजीबध्द कर रिस्पोन्डेन्ट/अनावेदक को आहूत करने तथा अभिलेख मँगाने के आदेश दिये हैं। ऐसी दशा में अपर आयुक्त का अपने आदेश में यह निष्कर्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील 12–3–99 को प्रस्तुत की गयी है और 5–8–95 से 13–2–99 तक के विलम्ब के बारे में कुछ भी नहीं बताया, अभिलेख के अनुरूप नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 12–3–99 व्दारा अपील में संशोधन हेतु आवेदनपत्र स्वीकार किया गया है और इसके आधार पर अपील आवेदनपत्र में दिनांक 12–3–99 को लाल स्याही से संशोधन किया गया है। पंजी में पंचनामा एवं शोकपत्र चस्पा है। नामान्तरण पंजी क0 06 में राजस्व निरीक्षक व्दारा पंजी का प्रकाशन किया गया अन्दर म्याद कोई आपत्ति पेश नहीं, अंकित किया गया है किन्तु नामान्तरण पंजी में इश्तहार की प्रति चस्पा नहीं है। पंजी पर ही एक प्रति ग्राम की चौपाल पर और एक प्रति ग्राम पंचायत की ओर, का उल्लेख किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना विधिवत इश्तहार जारी किये ही राजस्व निरीक्षक व्दारा केम्प खोड़ पर नामान्तरण पंजी में प्रमाणिकरण किया गया, जबकि प्रश्नाधीन भूमि ग्राम मनपुरा की है। संहिता की धारा 110 की उपधारा (3) तथा नामान्तरण नियमों के नियम 27 के अनुसार नामान्तरण के पूर्व विधिवत इश्तहार प्रकाशित करना तथा समस्त हितग्राही व्यक्तियों को

1.5.14

सूचना देना आवश्यक है। आवेदक व्दारा अपील आवेदनपत्र के साथ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के आदेश दिनांक 8–5–95 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गयी है। तहसीलदार ने अपने आदेश व्दारा आवेदक का नामान्तरण इस आधार पर खारिज किया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण पंजी क0 6 आदेश दिनांक 12–1–95 व्दारा दरयाव के स्थान पर जसुआ का नामान्तरण किया जा चुका है। ऐसी दशा में आवेदक का समयावधि विधान की धारा 5 में अंकित कथन न्यायहित में मान्य योग्य था। राजस्व निरीक्षक को अविवादित प्रकरणों में नामान्तरण की अधिकारिता है, किन्तु इस प्रकरण में आवेदक के पक्ष में अभिलिखित मृत भूमिस्वामी व्दारा रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की गयी है, इसलिये प्रकरण के निराकरण का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को होने से प्रकरण का निराकरण तहसील न्यायालय व्दारा किया जाना चाहिये। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक व्दारा वसीयत निष्पादन के पूर्व भूमिस्वामी की मृत्यु होना बताया है, किन्तु इस तथ्य पर निष्कर्ष उभय पक्ष को साक्ष्य प्रति–साक्ष्य का अवसर देने के पश्चात ही निकाला जा सकता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनाक 29–8–05, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 23–06–99 एवं राजस्व निरीक्षक व्दारा नामान्तरण पंजी में पारित आदेश दिनांक 15–2–95 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण तहसील न्यायालय को उभय पक्ष को सुनवायी का समुचित अवसर देने के पश्चात गुण–दोष पर विधिवत निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0